

अधियाचन प्रपत्र-1

- 1 (क) पद का नाम
(ख) क्या यह पद नया सृजित है, यदि हॉ तो
यह पद कब सृजित किया गया था :—
यदि यह पद नया नहीं है, तो यह कब
और कैसे रिक्त हुआ :—
- (1) क्या पद पर किसी की नियुक्ति कर दी
गई है :—
(2) यदि हॉ, तो यह कब से इस पद पर
कार्य कर रहा है :—
(3) क्या उसकी स्थानापन्न नियुक्ति के लिये
आयोगका अनुमोदन प्राप्त कर लिया
गया है, यदि हॉ तो आयोग का पत्र
संख्या तथा दिनांक उद्धृत किया जाय।
- ←
- (4) यदि अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है
, तो परिस्थितियों बताई जायें, जिसमें
आयोग के पूर्व अनुमोदन से नियुक्ति
नहीं की जा सकी :—
- (i) क्या उक्त पद आयोग के विचार क्षेत्र में
है—
सेवा का नाम, यदि कोई हो, जिससे
(ii) उक्त पद सम्बन्धित है :—
क्या उक्त पद संवर्ग में सम्मिलित है,
(iii) जो सम्बन्धित सेवा नियमावली में दिखाई
गई है :—
- (ग) स्वीकृत पदों की संख्या :—
(घ) स्वीकृत पदों के सापेक्ष रिक्त पदों की
कुल संख्या :—
(च) स्वीकृत पदों के सापेक्ष भरे गये पदों की
कुल संख्या :—
उत्तराखण्ड के अधिवासी अनुसूचित
(1) जाति के अभ्यर्थियों के लिये :—
उत्तराखण्ड के अधिवासी अनुसूचित जन
(2) जाति के अभ्यर्थियों के लिये :—

- उत्तराखण्ड के अधिवासी अन्य पिछड़ा वर्ग
- (3) के अभ्यर्थियों के लिये :—
अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिये :—
- (4)
- (छ) क्या विभाग द्वारा रोस्टर रखा जा रहा है और उपर्युक्त प्रत्येक श्रेणी के लिये नियत प्रतिशत व आरक्षण रोस्टर के अनुसार गणना में भिन्नता होने पर नियम प्रतिशत के अनुसार ही रिक्तियां का विवरण दिया गया है :—
- (ज) क्षैतिज आरक्षण के सम्बन्ध में अनारक्षित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति व अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये श्रेणीवार रिक्तियों का विवरण नियत प्रतिशत का उल्लेख करते हुये निम्न प्रकार से दिया जायें :—
उत्तराखण्ड के अधिवासी महिला के
- (1) अभ्यर्थियों के लिये :—
उत्तराखण्ड के अधिवासी स्वत्रता संग्राम
- (2) सेनानी आश्रित अभ्यर्थियों के लिये :—
उत्तराखण्ड के अधिवासी शारीरिक रूप से
- (3) विकलाग अभ्यर्थियों के लिये :—
दृष्टिहीन या कम दृष्टि स सम्बन्धित अभ्यर्थी
- (क) के लिये :—
श्रवण ह्लास से सम्बन्धित अभ्यर्थी के लिये
- (ख) :—
चलन किया सम्बन्धी निःशक्त या
- (ग) प्रमस्तिष्कीय अभ्यर्थी के लिये :—
उत्तराखण्ड के अधिवासी पूर्व सैनिक
- (4) अभ्यर्थियों के लिये :—
उत्तराखण्ड के अधिवासी विशिष्ट खिलाड़ियों
- (5) के लिये :—

- उत्तराखण्ड राज्य के आन्दोलनकारियों
(6) अथवा उनके आश्रित अभ्यर्थियों के लिये
:-
- 2 क्या उत्तराखण्ड के अधिवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति व अन्य पिछड़ा वर्ग, महिला व शारीरिक रूप से विकलांग अभ्यर्थियों की रिक्तियों में अग्रेनीत रिक्तियों को भी शामिल कर दिया गया है :-
- 3 क्या पद राजपत्रित है या अराजपत्रित ?
- 4 क्या पद स्थायी है अथवा अस्थायी है ?
यदि अस्थायी है, तो वह अवधि जब तक यह पद कायम रहेगा :-
- 5 पद का वेतनमान
(वेतनबैण्ड व ग्रेड वेतन सहित) :-
- 6 क्या अनुमन्य वेतनमान में बढ़ाया गया प्रारम्भिक वेतनमान दिया जा सकता है ?
यदि हाँ तो किस हद तक :-
- 7 क्या पद पेंशनयुक्त अथवा बिना पेंशन का
:-
- 8 परीवीक्षा अवधि यदि कोई हो :-
- 9 पद का कर्तव्य :-
- 9 चुने हुये अभ्यर्थियों को कब तक कार्यभार ग्रहण करना होगा :-
- 11 क्या निर्वाह निधि/भविष्य निर्वाह निधिका प्राविधान लागू है ?
- 12 कोई विशेष रियायत अनुमन्य है ? जैसे निःशुल्क आवास, रोशनी, पानी आदि ।
- 13 अपेक्षित अर्हतायें :-
- (क) अनिवार्य जिसमें शिक्षा सम्बन्धी अर्हताये, प्रशिक्षण, अनुभव आदि जैसें बाते सम्मिलित हैं :-

- (ख) अनिवार्य अर्हताये यदि कोई हो :—
(ग) कोई अन्य अर्हताये :—
(घ) यदि उपर्युक्त अर्हताये किसी हद तक शिक्षिल की जा सकती है तो वह किस हद तक ऐसा किया जा सकता है :—
(ङ) क्या समकक्ष अर्हताये भी स्वीकार की जायेगी ,यदि हों तो समकक्ष अर्हताये बताइयें :—
- 14 पद किस सेवा नियमावली से आच्छादित हैं :—
- 15 आयु सीमा :—
(क) निम्न आयु सीमा :—
(ख) अधिकतम आयु :—
(ग) क्या अधिकतम आयु सीमा को शिक्षिल किया जा सकता है ? यदि हों तो विद्यमान शासनादेशों / नियमावलियों को उल्लेख करते हुये किस—किस श्रेणी / वर्ग के अभ्यर्थियों को कितनी आयु शिथिलता प्रदान की जा सकती है :—
(घ) आयु सीमा की गणना के लिये नियत तिथि का उल्लेख किया जाय :—
(ङ) क्या समकक्ष अर्हताये भी स्वीकार की जायेगी ,यदि हों तो समकक्ष अर्हताये बताइयें :—
- 16 अभ्यर्थी की राष्ट्रीयता क्या अपेक्षित है :—
17 अभ्यर्थी की वैवाहिक स्थिति के सम्बन्ध में क्या अपेक्षित है :—
18 अभ्यर्थी के चरित्र के सम्बन्ध में क्या अपेक्षित है :—

- 19 अभ्यर्थी के शारीरिक स्वस्थता के सम्बन्ध में क्या अपेक्षित है :—
20 क्या पद हेतु कोई शारीरिक मापदण्ड भी लागू है ? यदि हॉ तो पुरुष व महिला दोनों के लिये नियत शारीरिक मापदण्डों का उल्लेख किया जाय :—
20 क्या सरकारा कर्मचारी पात्र है, यदि हॉ तो क्या उसके पक्ष में किसी शर्त का शिक्षिल किया जायेगा ? उन शर्तों को बताईयें जो उनके पदों शिथिल की जायेगी :—
21 कोई अन्य शर्त अथवा अर्हता जो उपर्युक्त मदों/प्रश्न के अन्तर्गत नहीं आती है :—
22 क्या अधियाचन में दिये गये विवरण, पद से सम्बन्धित, सेवा नियमावली व कार्मिक विभाग द्वारा जारी नियमावली के अनुरूप है? यदि हॉ तो सम्बन्धित पद/प्रश्न के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट की जाय :—

दिनांक.....

अधियाचन प्राधिकारी का के हस्ताक्षर

पूरा नाम.....

पदनाम.....